

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

बनाम

सरफा

दादा देवी काँठ

किस्म मुकदमा- १७५

मु.न. ५२६/२०१६/२०२४

तारीख हुक्म	
१७/६/२५	पत्रावली पेश वकील वादी उपो वास्ते विभाजन प्रस्ताव दि० १७/६/२५ को पेश ही।
१७/६/२५	पत्रावली पेश वकील वादी उपो प्रस्ताव दि० ३०/६/२५ को पेश ही।
३०/६/२५	पत्रावली पेश हुई वकील द्वारा काय स्थगत/P.O सा राज्य कार्य में ब्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगाने दी गई पत्रावली दिनांक ३०/६/२५ को पेश हो गई।
३१/६/२५	पत्रावली पेश वकील वादी उपो वास्ते विभाजन प्रस्ताव दि० ३१/६/२५ को पेश ही।
३१/६/२५	पत्रावली पेश वकील वादी अनुप, पत्रावली में पेशी हेतु बार-बार खुले-आमाख में आवाज लगाई गई, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं आया। अतः पत्रावली अदम पेशी अदम हाजिरी में खारिज की जा रही है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा